

उत्तर प्रदेश महिला नीति-२००६

प्रस्तावना

राज्य महिला नीति महिलाओं के प्रति हमारी वचनबद्धता को एक ठोस औपचारिक रूप देने का चरण हैं, यह भारत के संविधान में वर्णित एवं अंतराष्ट्रीय संधियों में हस्ताक्षरित भेदभाव मुक्त समतापूर्ण समाज के निर्माण का भी वचन है। हम एक ऐसा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां महिलाएं सशक्त हों और विकास के सभी निर्णयों की प्रक्रियाओं में उनकी बराबर की भागीदारी हो। हमारी दृष्टि से सशक्तिकरण का अभिप्राय भौतिक संसाधनों, बौद्धिक संसाधनों एवं विचारधारा पर नियंत्रण है।

भारत का संविधान विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को समान अवसर का अधिकार देता है। अनुच्छेद १४, १५ और १६ में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के यह अनुच्छेद कानून के समक्ष बराबरी और रोजगार के समान अवसर की गारंटी देते हैं और राज्य को यह शक्ति देते हैं कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। मूलभूत अधिकारों की तरह संविधान के निर्देशक सिद्धान्त भी ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा न्याय, स्वतंत्रता और समता का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद ३९(ए) (डी) और (इ) और अनुच्छेद ४२ के निर्देशक सिद्धान्त पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त अवसर पाने के अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, पुरुष, महिला और बाल कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा, काम की न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व की सुरक्षा का आग्रह करते हैं। भारत के संविधान में निहित महिलाओं की प्रतिष्ठा और विकास के लिए आवश्यक विधान के आधार पर प्रदेश की यह महिला नीति बनाई गई है। महिला सशक्तिकरण महिला कल्याण या कृपा पर आधारित दृष्टि नहीं है यह महिलाओं के मूल अधिकारों को सुनिश्चित कराने की रणनीति है।

प्रदेश सरकार की मान्यता है कि यदि महिलाओं को समर्थ बनाना है तो महिलाओं को दबाकर रखने वाली ताकतों के खिलाफ निरन्तर सामूहिक संघर्ष करना होगा। प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक संसाधन समाज के पास है उनके न्यायपूर्ण पुनर्वितरण की प्रक्रिया पर जोर दिया जाये ताकि महिलाओं को उनमें बराबर का हक मिल सके। प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्पादक और पुनरोत्पादक श्रम को व काम और सम्पत्ति पर उनके समान अधिकार को मान्यता देती है। हर क्षेत्र में चाहें वह परिवार, कार्यस्थल या समुदाय हो, महिलाओं को निर्णय लेने के समान अवसर देने को भी प्रदेश मान्य करता है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्त करने के समान अवसर, जीने का अधिकार और बालिकाओं के लिए समान अवसर को भी स्वीकार करता है।

राज्य की महिला नीति ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेगी जिसमें महिलाओं के ज्ञान व योगदान को स्वीकार किया जाये, महिलाएं भयमुक्त हों, उनका आत्मसम्मान एवं गरिमा बढ़े, उनका अपने जीवन व शरीर पर नियंत्रण बढ़े, वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनें। जमीन व सम्पत्ति पर उनका नियंत्रण हो वे शिक्षित हों और उनका कार्य बोझ कम हो। उनका कौशल व दक्षता बढ़े और वे अन्य महिलाओं के साथ संगठन बना सकें। परिवारों में व समुदाय में उनकी परंपरागत भूमिकाये सकारात्मक रूप से बदले तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी बराबर की भागीदारी हो।

महिला नीति के लक्ष्य

प्रदेश की महिला नीति के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

1. महिलाओं के मामले में समाज के रवैये में परिवर्तन लाना और उसे संवेदनशील बनाना।
2. संविधान एवं विधायन के अन्तर्गत महिलाओं को दिये गये अधिकारों एवं संरक्षण का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. नारी जीवन का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

4. समाज में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
5. महिलाओं का आत्मविश्वास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना।
6. सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयासों का भरपूर लाभ उठाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना।
7. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
8. यह सुनिश्चित करना कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हो।
9. महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा की रोकथाम करना।

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयासः

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या १६.६१ करोड़ है, जिसमें ७.८६ करोड़ महिलाएं हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष २००१ में राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति घोषित की गयी है। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त पर्याप्त अन्तर आया है। सरकारी एवं सामाजिक प्रयासों से महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया जाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए हैं:-

- वर्ष २००५-०६ से जेण्डर बजटिंग के सिद्धान्त का सूत्रपात किया गया है। जेण्डर बजटिंग का मूल उद्देश्य सरकार के बजट को महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाना है।
- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में १/३ सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। पंचायतों की बैठकों में महिलाओं की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक चर्चा के निर्देश दिये गए हैं।

- प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।
- राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए २० प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है।
- शिक्षा मित्रों में ५० प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
- स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में ४० प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- बी०टी०सी० कोर्सों में ५० प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिये किया गया है।
- शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के समय पिता के नाम के साथ मां का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है।
- मिड-डे मील योजना के तहत खाना पकाने का कार्य केवल महिला कर्मियों को ही दिया है।
- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें संगठित कर उनकी क्षमता विकास कर आय सृजन के कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। वर्तमान में यह समूह स्वाशक्ति, स्वयंसि, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, यूपी डास्प, नाबार्ड आदि योजनाओं में गठित किये गए हैं।
- महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत महिला डेरी सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें लगभग ५५ हजार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की गयी।
- महिलाओं के कौशल सुधार हेतु लघु उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग आदि द्वारा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- महिलाओं के कल्याणार्थ पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन पति के मृत्यु के उपरान्त उनके विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि, कार्यशील महिलाओं के हास्टल, संरक्षण गृह, अल्पावास गृहों आदि की स्थापना की गयी है।

- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास महिलाओं के नाम ही आवंटित किए जाने को प्राथमिकता दी गयी है।
- उ०प्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन कर धारा ३ए का समावेश किया गया है, जिसके अनुसार कार्यस्थल पर कामकाजी महिला का यौन शोषण निषिद्ध किया गया है।
- संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा महिलाओं के पक्ष में दस लाख रुपये मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क में कमी की गयी है।
- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "कन्या विद्या धन " प्रारम्भ की गयी है।
प्रदेश के असेवित ४ विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्र को आर्थिक सहायता देकर बालिका माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करायी गयी है।
- लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए "स्कूल चलो" का विशेष अभियान चलाया गया।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक विभागों में यौन उत्पीड़न शिकायत समितियों का गठन किया गया है।
- महिला थानों तथा १४ परिवार परामर्श केन्द्रों एवं पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि के पटटे पति-पत्नी के नाम संयुक्त रूप से, अविवाहित किन्तु वयस्क पुत्रियों जिनके माता-पिता न हों, महिलाएं जिनके पति का स्वर्गवास हो गया हो अथवा जो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में आती हों उन्हीं के नाम दिये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।
- पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के संबंध में "विधवा" आदि असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किया जाए।
- प्रदेश के लखनऊ, , , , चंदौली, संत रविदास , , , तथा वाराणसी जनपद में "चाइल्ड लाइन" की सेवा

संचालित है जिसको प्रदेश के जोनल मण्डलों तथा बाद में प्रत्येक स्तर पर विस्तार किये जाने की योजना है।

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने दहेज प्रतिषेध नियमावली, को प्रकाशित कर दिया है और प्रत्येक जिले में जिला परीवीक्षा अधिकारी दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित है।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा "जनश्री बीमा " लागू की गयी है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों की वंचित समूह की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।
- स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन बनाये गए हैं।
- प्रदेश के विकास खण्डों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Elementary Education) योजना लागू की गयी है।
- स्वाधार योजना के अन्तर्गत निराश्रित एवं वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रय सदन का निर्माण किया जा रहा है। जनपद मथुरा वृन्दावन में पश्चिम बंगाल से आयी निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय सदन का निर्माण कराया गया है तथा अन्य धार्मिक नगरों में भी आश्रय सदन बनाया जाना विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश महिला नीति

उत्तर प्रदेश महिला नीति यह परिकल्पना करती है कि प्रदेश की महिलाओं में एक सकारात्मक आत्म छवि, आत्म सम्मान और आत्म विश्वास विकसित हो तथा समाज में अपने योगदान के अनुरूप उनकी पहचान और उत्तरोत्तर उनकी भागीदारी बढ़े। प्रत्येक महिला उस सामाजिक स्तर को प्राप्त करें जिससे वह एक सम्मानित नागरिक के रूप में हर क्षेत्र में समान अवसर पाने व निर्णय लेने की भूमिका में आ सके व निर्णयों का क्रियान्वयन भी कर या करा सके।

महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु एक ऐसी नीति की महती आवश्यकता है। महिला नीति का क्रियान्वयन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेगी:-

लैंगिक विभेद

- परिवार के भीतर एवं परिवार के बाहर बालिकाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना। विशेषकर बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बाल वेश्यावृत्ति आदि के विरुद्ध कानूनों का कड़ाई से पालन कराना। बाल विवाह की प्रथा को पूर्ण रूप से रोकने हेतु जनसहभागीदारी एवं प्राशासनिक कदम उठाएँ।

किशोरी बालिका

- किशोरावस्था में व्यापक स्तर पर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही इस अवस्था में जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं भी जुड़ी हैं जैसे-विवाह, नौकरी, महाविद्यालयों, में दाखिला आदि। ये घटनायें जीवन को एक निर्णायक मोड़ देती हैं। सरकार किशोरियों के प्रति होने वाली शारीरिक, मानसिक व सामाजिक हिंसा के प्रति सजग हैं ताकि समाज में किशोरियों को एक विशिष्ट स्थान बन सके। किशोरियों को सुरक्षित व सम्मानित जीवन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और निर्णय के अधिकार दिलाये जाने के प्रयास किये जाएंगे। माध्यमिक स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से किशोरी बालिकाओं हेतु काउन्सिलिंग सेल की स्थापना किये जाने पर विचार किया जाएगा।
- सरकार किशोरियों को इस प्रकार तैयार करेगी कि वे परिवार व समाज में एक सकारात्मक जगह बना सकें व अपने प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए अग्रिम कदम उठा सकें तथा सहायता प्राप्त कर सकें, साथ ही स्कूलों व कालेजों में आत्म सुरक्षा को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जायेगा।

शिक्षा

- /बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। शिक्षा विभाग के सभी कार्यक्रमों में जेण्डर अवधारणा का समावेश करने के लिये व सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की अग्रणी भूमिका को बढ़ावा दिया जायेगा। पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के सुधार किये जायेंगे जो बालिकाओं/महिलाओं को सकारात्मक छवि व आत्म निर्भरता की ओर बढ़ने को प्रेरित करे।

प्रत्येक में माध्यमिक व उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और परम्परागत शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में निम्न विषयों को अवश्य सम्मिलित किया

- मनोवैज्ञानिक शिक्षा, यौन शिक्षा, . . . व संक्राम , स्वच्छता ए बाल विकास जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।
- जेण्डर असमानता का विश्लेषण विशेषकर सामाजिक समस्याओं से संबंधित।
- कानूनी साक्षरता तथा महिलाओं/लड़कियों के अधिकार
- प्रजनन व सम्पूर्ण स्वास्थ्य
- व्यवहारिक/तार्किक शिक्षा
- जिम्मेदारियों का बंटवारा व सहभागितापूर्ण निर्णय क्षमता
- जेण्डर व सामाजिक न्याय के आयाम
- पंचायती राज व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी
- मनोवैज्ञानिक शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना
- किशोरियों के आत्मरक्षा के तौर तरी
- शारीरिक परिवर्तनों की जानकारी हेतु शरीर रचना विज्ञान
- इण्टरमीडियट स्तर तक की बालिकाओं के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना।

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

- महिलाओं को आर्थिक स्वावलम्बन और कैरियर के विकास के लिए निःशुल्क महिला कैरियर केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जहां कौशल विकास एवं

महिलाओं/बालिकाओं को कैरियर/रोजगार हेतु सूचनायें/विवरण निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

- व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास तथा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बालिकाओं/महिलाओं के लिए रोजगार के निजी क्षेत्र में नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आई टी०/काल सेंटर का प्रशिक्षण देने पर विचार किया जायेगा।

स्वास्थ्य

- महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जायेगा जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण की उचित व्यवस्था किया जाना, सुरक्षित प्रसव एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं/लड़कियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
/एड्स तथा अन्य संक्रामक रोगों के रोकथाम के प्रयास किए जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा तथा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय बनाये जायेंगे।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा योजना में आच्छदित किया जायेगा।

मीडिया की भूमिका

- बालिकाओं और महिलाओं के प्रति समाज की परम्परागत विचारधारा को बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया का सहयोग लिया जायेगा। इन सशक्त माध्यमों से जन सामान्य का ध्यान सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक परम्पराओं एवं अंधविश्वासों की ओर आकृष्ट किया जायेगा तथा बालिका शिशु के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जायेगा।

कृषि, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण

- भूमि के स्वामित्व तथा सम्बन्धित कृषि कार्यों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
- कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों में महिलाओं को आधुनिक कम कीमत एवं बिना कीमत तकनीकों का प्रशिक्षण दिलवाने तथा विशेष महिला मित्रवत एवं श्रम
- - के विकास को प्रोत्साहित करेगी। प्रतिशत कार्य तथा अधिक श्रम वाले कार्य महिलाओं द्वारा सम्पादित किये जाते हैं, परन्तु कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सामाजिक रूप से दोगुना दर्जा मिल रहा है तथा उन्हें कृषक के रूप में अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। कृषि में महिलाओं की व्यापक भूमिका को देखते हुए कृषि तकनीक एवं उपकरणों को उनके अनुकूल विकसित करने के लिए शोध एवं प्रसार को सरकारी व गैर सरकारी माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कृषि प्रशिक्षण संस्थाओं व पाठ्यक्रमों को जेण्डर संवेदनाशील बनाया जायेगा ताकि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हो।
- कृषि आधारित महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श सेवा एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण दिलाये जाने की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- कृषि क्षेत्र एवं संगठित/असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम एवं समान मजदूरी अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जायेगा। ऐसे विशेष कदम भी उठाये जायेंगे जिससे कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ, , दुर्घटना के लिए मुआवजा आदि सुविधाएं कृषक महिलाओं को उपलब्ध हो सकें। इन कार्यों की निगरानी ब्लाक/ग्राम स्तरीय समिति/श्रमिक केन्द्र द्वारा कराये जाने की व्यवस्था विकसित की जायेगी।
- महिला स्वयं सहायता समूहों का सुदृढीकरण किया जाना तथा आयजनित कार्यक्रमों के अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मध्याह्न भोज जैसी योजनाओं से जोड़ना।

आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण

- महिला सशक्तिकरण के कुछ स्पष्ट सूचकांकों का निर्धारण यथा- मातृ मृत्यु , बाल मृत्यु दर, लिंग अनुपात, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व स्थाई शिक्षा, साक्षरता, महिला हिंसा, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत सम्पत्ति , पंचायत व स्थानीय निकायों में भागीदारी, विवाह जैसे पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी।
- कम व्याज पर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा महिला उद्यमियों के लिए अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाई जायेगी।
- गरीब महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु व्यापक आर्थिक नीतियां बनाना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाना।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, संगठनों एवं सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जायेगा तथा यह भी प्रयास किया जायेगा कि बैंक इन्हें मान्यता दे एवं सहज प्रक्रियाओं के माध्यम से आयजनित कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध करायें। महिलाओं को सरल प्रक्रियाओं द्वारा ऋण, कच्चा माल, प्रशिक्षण, सोसाइटी एक्ट, कम्पनी एक्ट, वित्त लेखा प्रबंधन, बिक्रीकर, आयकर मार्केटिंग, उद्योगों का पंजीकरण तथा उद्योगों एवं अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। समूहों को गैर पारम्परिक व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इन समूहों को विशेष विपणन एवं बाजार व्यवस्था इस हेतु उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।
- महिलाओं के घरेलू एवं पारिवारिक कार्यों का आर्थिक आंकलन करते हुए उनके योगदान को घरेलू एवं राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन के रूप में मान्यता देगी। इसके लिये विशेष क्रियाविधि विकसित की जायेगी जिससे महिलाओं के योगदान का आर्थिक आंकलन हो सके।
- प्रत्येक ग्राम में एक महिला स्वयं सहायता समूह का चयन कर उसे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण तथा मध्यान्ह भोज योजना से जोड़ जायेगा।

- त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु सघन प्रयास किये जायेंगे।
- प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों द्वारा सम्पत्ति का आवंटन संयुक्त रूप से पति व पत्नी के दोनों नामों पर अनिवार्य रूप से किये जाने पर विचार।
- नगर पालिकाओं व नगर निगमों द्वारा वसूल किये जा रहे कर में जहां पर महिला का स्वामित्व है, उनमें छूट दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
- विवाहित महिलाओं को शासकीय सेवाओं में आयु सीमा में छूट देने पर विचार किया जायेगा।
- मां का नाम सभी राजकीय अभिलेखों में पिता के नाम के साथ सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

आश्रय एवं संरक्षण

- परिवार बालक/बालिकाओं की देखभाल एवं सुरक्षा के लिये सबसे अच्छा विकल्प , परित्यक्त, उपेक्षित तिरस्कृत बच्चों के पुनर्वसन एवं सामाजिक एकीकरण के लिये दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता दी जायेगी, इसके लिए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल किया जायेगा।
- प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक महिला सशक्तिकरण केन्द्र की स्थापना जहां एक छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, सुधार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक संस्थाओं की सेवायें उपलब्ध रहेंगी तथा कम्प्यूटराईज्ड सूचना केन्द्र, अल्पावास गृह आदि की व्यवस्था रहेगी। सर्वप्रथम यह केन्द्र पायलेट प्रोजेक्ट/प्रयोग के तौर पर खोला जायेगा तथा बाद में आवश्यकतानुसार अन्य जनपदों में विस्तार किया जायेगा।
- कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं एवं वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, को विशेष सहायता प्रदान करना।
- हिंसा के कारण तथा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत लाई , संवासिनी गृहों की आश्रित व विचाराधीन महिलाओं को राज्य द्वारा

संरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार गृहों का सुधार भी किया

- सिद्ध दोष बन्दी महिलाओं के बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा एवं रहने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जायेगी।
- महिला बन्धियों के वादों के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु बीडियो कान्फेंसिंग की भी सहायता ली जा सकती है।
- संरक्षण गृहों में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया जायेगा तथा इस संदर्भ में उनकी गतिशीलता एवं दक्षता को बढ़ाया जायेगा, जि समाज में पुनर्स्थापित हो सके। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेगी। इनके प्रबन्धन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनायी गी। संरक्षण गृहों में पुनर्वसन कार्यक्रम इस प्रकार के होंगे कि संरक्षण में आने वाली महिलायें स्वावलम्बी होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
- पारिवारिक जातीय हिंसा की शिकार महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वाधार योजना के अन्तर्गत आश्रम सदन चलाये जायेंगे जिसमें भोजन एवं पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध होगी। इन गृहों में वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- विकलांग महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर सम्मानजनक रूप से पुनर्वासित राज्य सरकार सभी सम्भव प्रयास करेगी। आर्थिक स्वावलम्बन को आधार वाक्य मानते हुए राज्य सरकार विकलांग महिलाओं की शिक्षा तथा व्यावसायिक/व्यवहारिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देगी। इसके अलावा सभी रोजगारपरक योजनाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देगी। मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार उन्हें स्नेहयुक्त वातावरण में संरक्षण गृहों में रखने की यथोचित व्यवस्था करेगी।

सामाजिक सुरक्षा एवं विधिक उपाय

- बाल यौन हिंसा की जटिलता समझते हुए सामाजिक सौच में परिवर्तन लाये जाने के प्रयास किए जायेंगे तथा इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी
- कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं समर्थन सेवाएं शिशु गृह/कामव महिला छात्रावास का निर्माण प्रदान करना।
- प्रत्येक जिले के पारिवारिक न्यायालय/जिला न्यायालय में परामर्श केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसमें जेण्डर संवेदनाशीलता पर प्रशिक्षित परामर्शी तैनात किये जायेंगे व उसी नजरिये से परामर्श दें।
- महिलाओं के साथ सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर उपाय करना। इस अभियान को सार्थक एवं प्रभावी बनाने हेतु इसमें अभिनव तरीकों का प्रयोग किया जायेगा। हिंसा या दहेज उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से ग्रसित महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान व समस्याओं का निराकरण।
- महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति क्रय पर स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
- विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन पति-पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा एकल महिलाओं को भूखण्ड एवं आवासों के आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- , सम्पत्ति , हिंसा और तलाक के मामलों में न्याय शुल्क कोर्ट फीस में छूट प्रदान की जायेगी तथा छः माह में इन मामलों का निपटारा किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
- महिलाओं पर होने वाले प्रत्येक प्रकार की हिंसा के प्रति सभी प्राशासनिक, न्यायिक आधिकारियों, पुलिस कार्मिकों एवं विशेष रूप से सुरक्षा बलों को जेण्डर ता बढ़ाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनिवार्यतः जोड़ जायेगा। इस कार्य में प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाएं जो इस कार्य से जुड़ी हुयी हैं को भी सम्बद्ध किया जायेगा तथा सभी विभागीय प्रशिक्षणों में इस विषय को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा।

- सभी विभागों/ स्थानों में "जेण्ड रिसोर्सज सेल" तथा "यौन उत्पीड़न समिति" (**Sexual Harrassment Committee**) का गठन किया जायेगा।
- पुलिस बल में महिलाओं तथा महिला थानों की संख्या बढ़ायी जायेगी व महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था में उचित बदलाव लाये जायेंगे।
- थाने में "महिला डेस्क" बनाने पर विचार किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि "महिला डेस्क" में पर्याप्त महिला कान्सटेबल हों, साथ ही पुलिसकर्मियों की भर्ती में भी कम से कम २० प्रतिशत भर्ती महिलाओं की ही की जाए।
- विशेष परिस्थितियों में रहने वाली सुरक्षाविहीन महिलाओं जैसे साम्प्रदायिक व जातीय हिंसा से ग्रस्त इलाकों में रहने वाली एकल, निराश्रित, मानसिक रूप से विक्षिप्त, विशेषकर अल्पसंख्यक एवं दलित महिलाओं के लिए सरकार विशेष सुरक्षा/सहायता व्यवस्था पर विचार करेगी।
- सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के जीवन बीमा के लिए भी बीमा कम्पनियों द्वारा सुनियोजित उपाय करेगी। प्रदेश सरकार समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संस्थानों- कारखानों द्वारा महिलाओं को विषम एवं कठिन परिस्थितियों में एवं भारी श्रम से बचाव, रात्रिकालीन पालियों में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास करेगी तथा श्रमिकों के वर्तमान कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।
- महिला प्रवासी मजदूरों के लिए पहचान पत्र निर्गत करने पर सरकार विचार करेगी ताकि उन्हें कानूनी, श्रम संबंधी, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा आदि उपलब्ध हो सके।
- विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना ताकि बाल विवाह प्रथा

सामाजिक कुरीतियां

- बाल विवाह को समूल समाप्त करने के लिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम में आर्थिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही के कड़े प्राविधान किये जायेंगे तथा बाल

विवाह के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा तथा जन सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

- बाल विवाह रोकने के लिए जन सहभागिता प्राप्त की जायेगी।
- विवाहों पर होने वाले अनावश्यक व्यय को रोकने के उद्देश्य से सरकार सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देगी। दहेज निरोधक कानून का कड़ाई से पालन किया

आंकड़ संग्रह एवं अनुश्रवण

- प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के आंकड़ों के संकलन और सांख्यिकीय अभिलेखों में महिलाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो। इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने, अद्यतन करने, प्रथक्कीकरण प्रक्रिया में जिन संशोधनों की आवश्यकता होगी वे किए जायेंगे।
- एक सशक्त ढांचे एवं व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा जो राज्य एवं जिले स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित कार्यक्रमों का समन्वय, कार्यक्रम एवं अनुश्रवण कर स
- महिलाओं के घरेलू एवं पारिवारिक कार्यों का आर्थिक आंकलन करते हुए उनके योगदान को घरेलू एवं राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके लिए विशेष क्रियाविधि विकसित की जायेगी जिससे महिलाओं के योगदान का आर्थिक आंकलन हो सके।

कार्ययोजना

राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से नीति को ठोस कार्यवाही में बदलने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एक **उच्च स्तरीय**

क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन करेगी जो स्वतंत्र रूप से कार्य

, जिसकी तीन माह में एक बार बैठक अवश्य होगी। इस समिति के

सदस्य महिला मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्ति व संगठनों के प्रतिनिधि और

, चिकित्सा तथा शिक्षा के वे विशेषज्ञ होंगे जो महिला मुद्दों पर पिछले

कुछ वर्षों से कार्यरत रहे हों। इस समिति में कम से प्रतिशत महिलायें होंगी। महिला नीति के सम्बन्ध में जन सामान्य की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की

उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत महिला नीति प्रख्यापित करती है तथा यह संकल्प लेती है कि इस नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा। नीति में लिये गये निर्णयों का हर तीन वर्ष पर पुनरावलोकन किया जायेगा जिससे नीति लगातार नयी सामाजिक आवश्यकताओं और तेजी से बदलते हुए परिवेश के अनुरूप कार्य कर सके।